

कार्यालय: जनसूचना अधिकारी,
केन्द्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

नं. सीपीपीआरआई/आरटीआई/2018/08(आई)/281/

दिनांक: 12.12.2018

श्री मोहम्मद इस्लाम,
जे.आर.एफ.,
सीपीपीआरआई,
सहारनपुर,

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2018 के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2018 जो कि सूचना का अधिकार, अधिनियम - 2005 के अंतर्गत इस संस्थान को प्रेषित है का संदर्भ लें।

इस संबंध में सूचनीय है कि आप द्वारा वांछित सूचना संस्थान के संबन्धित विभाग से उनके पत्र दिनांक 11.12.2018 द्वारा प्राप्त हुई है जिसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,

मोहम्मद इस्लाम
12-12-2018
(एम. के. गुप्ता)
जन सूचना अधिकारी

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निदेशक, केन्द्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

मोहम्मद इस्लाम
12/12/18

0/ ✓

Arshad
12/12/18

Central Pulp & Paper Research Institute
Saharanpur

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/VII

Dated 11.12.2018

ION

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/सीआईसी/2018/10(आई)/281 दिनांक 14.11.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्री मोहम्मद इस्लाम, सहारनपुर का आवेदन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अग्रसरित किया गया है। इस संबंध में सूचना व्योरेवार उपलब्ध कराई जा रही है।

1.2.3.: निर्धारित तिथियों से पूर्व लोवर डिविजन क्लर्क की परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों और उनके परीक्षा से पहले निस्तारण के कारण लिखित परीक्षा स्थगित की गई।

4. संस्थान ने कितने किसानों को नियुक्ति के लिए लिख कर दिया है इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। यद्यपि मो. इस्लाम पुत्र श्री अता अहमद, शेखपुरा कदीम एवं श्री संजीव पाल पुत्र श्री अजमेर सिंह, शेखपुरा कदीम को संस्थान में सेवा की प्रार्थना के उपरान्त यह लिख कर दिया है कि जब भी संस्थान में पद रिक्त होंगे उनके विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त अपनी योग्यतानुसार आवेदन करें और अन्य अभ्यर्थियों के साथ उनकी योग्यतानुसार उन्हें भी बराबर माना जाएगा।

5. सूचना के अधिकार में सिर्फ संस्थान में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है।

डा. एम.के.गुप्ता

(ए.के.सक्सेना)
प्रशासनिक अधिकारी

डा. एम.के.गुप्ता
वैज्ञानिक एफ, जन सूचना अधिकारी
सीपीपीआरआई, सहारनपुर